Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

छोटेलाल वगै0 बनाम प्रेम सिह

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट अपील संख्या 86/25 GCMS NO 2025/106

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 29.1.18 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जिसको पुनः नम्बर पर लेने हेतु /अपीलांट/ वादी/ प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 10.4.23 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 9 नियम 4 , 8 सीपीसी पेश किया गया जो बाद रिपोर्ट मुकदमा न0 17/23 दायर किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 4 , 8 सीपीसी यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है प्रार्थीगण द्वारा देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई ठोस कारण का उल्लेख नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि प्रार्थीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कानून नही समझते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे नियुक्त अधिवक्ता द्वारा अपीलांटगण को प्रत्येक पेशी पर आने की मनाही करने एवं आवश्यता पडने पर सूचना कर बुलाने हेतु आश्वस्त किया हुआ था जिसके कारण प्रार्थीगण/वादीगण वरवक्त आवाज दावा अधिनस्थ न्यायालय उपस्थित नही हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता के वरवक्त आवाज हाजिर नही होने के कारण दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थीगण/अपीलांट को नही थी। अधिनस्थ न्यायालय मे नियुक्त अधिवक्ता ईशाक अहमद विवादित जमीन के दुसरे मुकदमे मे प्रतिवादीगण प्रेमसिह के वकील हो गये इसलिए उनके द्वारा प्रार्थीगण को दावा के खारिज होने के सबंध मे दिनांक 6.4.23 तक कोई जानकारी नही दी गई। किसी अधिवक्ता द्वारा वरवक्त आवाज उपस्थित नही होने की सजा किसी पक्षकार को दिया जाना न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। दावा अदम हाजरी मे खारिज होने की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। श्री श्यामप्रकाश गर्ग अधिवक्ता ने सम्पर्क कर जानकारी करने पर दावा अदम हाजरी मे खाारिज होने की जानकारी हुई। इसलिए जानकारी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 4, 8 सीपीसी पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत मियाद बिन्दु पर विधि विरूद्व खारिज किया है। दावे मे हकूक तय होने है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा है। इसलिए न्यायहित मे दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है। अतः	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मंसूख कर दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी वादी/अपीलांटगण के वरवक्त आवाज न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण विधिवत रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि उनके अधिवक्ता श्री ईशाक अली विवादित जमीन के दुसरे मुकदमे मे प्रतिवादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता थे। इसके बाबत अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा न0 व उनवान का जिक्र नही किया है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है। प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र मियाद बिन्दु पर खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादीगण/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा संख्या 42/16 उनवानी छोटेलाल बनाम प्रेम सिह अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट पेश किया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात के दुसरे मुकदमे मे अधिवक्ता श्री ईशाक अहमद प्रतिवादीगण की और से वकील नियुक्त होने के कारण श्री ईशाक अहमद वरवक्त आवाज अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। जिसके कारण दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हुआ है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति दावा बाबत हाकमील मुआयदा न्यायालय सिविल न्यायाधीश करौली से होती है। इस प्रकार किसी अधिवक्ता के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण पक्षकार के हितो से वंचित नही किया जा सकता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल मात्र तकनीकी आधार मियाद बिन्दु पर खारिज किया है जो विधि विरूद्व है। मियाद के बिन्दु के आधार पर किसी के हकूक तय नही होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.3.25 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र 2000/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर दावा संख्या 42/16 उनवानी छोटेलाल बनाम प्रेम सिह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली को नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट सशर्त स्वीकार योग्य होने से सशर्त स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 17/23 मे पारित निर्णय दिनांक 21.3.25 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दावा संख्या 42/16 उनवानी छोटेलाल बनाम प्रेम सिह को इस शर्त पर नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है कि वादी/अपीलांट कोस्ट राशि 2000/–रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली मे जमा करवाकर रसीद अधिनस्थ न्यायालय मे पेश करे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि रसीद पेश होने पर दावा वादी नम्बर 42/16 उनवानी छोटेलाल बनाम प्रेम सिह को नम्बर पर लिया जाकर विधि अनुसार सुनवाई की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर